न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) सिरोही राजस्थान

क्रमांकः रीडर/कोर्ट/केस पत्रावली ट्रांसपफर /2019/ 1792 दिनांक 30-9-2019

प्रेषिति :-

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय,
सिरोही राज.

विषय :- इस न्यायालय मे विचाराधीन राजस्व वाद की पत्रावली स्थानांन्तरित करवाने के आदेश प्रदान करवाने बाबत् ।

-0-

महोदयजी,

उपरोक्त विषयक निवेदन है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के इस न्यायालय मे राजस्व वाद संख्या 179/2002 अर्न्तगत धारा 88, 188, आर.टी.एक्ट 1955 के तहत शीर्षक करमा बनाम स्टेट जरिये तहसीलदार,सिरोही व अन्य विचाराधीन है। उक्त राजस्व वाद अंतिम बहस वकील वादी तथा पैरोकार सरकार स्टेट व वकील प्रतिवादी संख्या 2 देवस्थान बोर्ड सिरोही की अंतिम बहस इस न्यायालय मे दिनांक 23-9-2019 को नियत थी । दौराने अंतिम बहस पत्रावली अवलोकन से यह ध्यान मे आया है कि विचाराधीन वाद मे साक्ष्य वादी के तौर पर अधोहस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर युक्त बहैसियत भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार,सिरोही) का शपथ पत्र दिनांक 12-12-2012 को पेश किया हुआ है। अधोहस्ताक्षरकर्ता पदोन्नत होने से वर्तमान मे सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ) सिरोही पदस्थापित होने न्यायालय मे बहैसियत पीठासीन अधिकारी विचाराधीन वाद की अंतिम बहस सुनकर विधिवत रूप से निर्णय पारित नही करने की मजबूरी है कारण कि न्यायालय पर निष्पक्षकता पूर्ण निर्णय नही करने व अनावश्यक दिगर आरोप लगने की प्रबल संभावना है जिससे कि न्यायालय की गरीमा को ठेस पहुॅच सकती है। ऐसी स्थिति मे अधोहस्ताक्षरकर्ता को विचाराधीन वाद की अंतिम बहस सुनकर विधिवत निर्णय पारित करने मे कठिनाई आ रही है। । अतः उक्त विचाराधीन वाद के निष्पक्षकता पूर्ण एवं विधिवत रूप से शीघ्र निस्तारण हेतु सिरोही जिले के किसी भी सक्षम सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) को उक्त राजस्व वाद की मूल पत्रावली स्थानान्तरित करवाने के आदेश प्रदान करावें ।

भवदीय,

(हॅसमुख कुमार)
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

1792
30/9/19

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है ।

1- तहसीलदार, सिरोही
2- वादी के वकील श्री सुरेशचंद्र सुराणा
3- प्रतिवादी सं.2 के वकील श्री भगवतसिंह देवडा

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही